पंजाब के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक हालात: कुछ जिलों के सन्दर्भ में

बीरेंद्र कुमार, अनुसंधान विद्वान, अर्थशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विशविद्यालय, चूरू (राजस्थान)
डॉ आर सी शर्मा, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, ओ पी जे एस विशविद्यालय, चूरू (राजस्थान)

प्रस्तावना

भारतीय अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है; 55 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार रोजगार और आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा तेजी से गिरा है, फिर भी यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण श्रम पूछताछ रिपोर्ट (1999 -2000) के अनुसार ग्रामीण समाज के संदर्भ में भूमिहीन कृषि श्रमिक और सीमांत किसान प्रमुख हैं। कृषि श्रमिक भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सबसे उपेक्षित वर्ग का गठन करते हैं। कृषि गतिविधियों की मौसमी प्रकृति के कारण उनकी आय बहुत कम है और रोजगार अनियमित है। चूंकि उनमें से अधिकांश के पास लगभग कोई कौशल या प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए उनके पास अर्थव्यवस्था के गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के कोई वैकल्पिक अवसर नहीं हैं। सामाजिक रूप से, बड़ी संख्या में कृषि श्रमिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। साहित्य की समीक्षा से यह देखा गया है कि अन्य श्रमिकों की तुलना में कृषि श्रमिकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर है। औद्योगिक श्रमिक। इसके अलावा, कृषि श्रम असंगठित है। औद्योगिक श्रमिकों के विपरीत, कृषि श्रमिकों के पास ज्यादातर ट्रेड यूनियन नहीं होते हैं। कृषि श्रमिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का सबसे बड़ा वर्ग है। हरित क्रांति के लिए इस्तेमाल की गई तकनीक जमींदारों के लिए समृद्धि और भाग्य ला सकती है, लेकिन ज्यादातर खेतिहर मजदूरों के लिए नहीं। ये ग्रामीण भूमिहीन खेतिहर मजदूर बहुत कम व्यावसायिक विविधीकरण, बहुत खराब रोजगार की स्थिति और उच्च बेरोजगारी दर से संबंधित हैं। पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी, सीमित कौशल और निरक्षरता ने उनकी गतिशीलता को बेहद सीमित कर दिया है और उन्हें स्वतंत्र स्थिति प्राप्त करने से रोक दिया है। भारत में वैश्वीकरण की नीतियों को अपनाने से उनके रोजगार के अवसर और कम होने की संभावना है क्योंकि उन्हें विदेशी तकनीक और कृषि के आधुनिक तरीकों से प्रतिस्पर्धा का शिकार होना पड़ेगा। उनकी खपत और कमाई के बीच लगातार अंतर उन्हें स्थायी ऋणग्रस्तता की ओर ले जाता है।

अध्ययन की प्रासंगिकता

हमारे देश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का बहुत महत्व है क्योंकि ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और उनकी समस्याएं जटिल हैं। हमारे प्रारंभिक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसलिए, पंजाब में कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना वांछनीय हो जाता है। इस विषय पर कोई अन्य अध्ययन नहीं किया गया है, यदि कोई अध्ययन है, जो या तो पुराना हो गया है या इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है या इस मुद्दे का केवल आंशिक संदर्भ दिया है। यही कारण है कि हमने इस विषय पर व्यापक अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पंजाब के ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थितियों पर गौर करना है। अधिक विशेष रूप से, अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों पर केंद्रित है।

- पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं की जांच करना;
- भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों की प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति आय का विश्लेषण करना;
- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के प्रति परिवार और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय का अनुमान लगाना;

- भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता की मात्रा की जांच करना;
- पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करना;
- संपत्ति की सीमा (मूल्य) और संरचना की जांच करने के लिए; और
- हमारे अध्ययन के आधार पर सुझाव देने के लिए।

वर्तमान अध्ययन वर्ष 2010-11 से संबंधित है। कृषि उत्पादकता पंजाब की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण आय का प्रमुख निर्धारक है। राज्य को कृषि उत्पादकता के स्तरों के आधार पर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस कसौटी के आधार पर कृषि उत्पादकता स्तर के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र से एक जिले का चयन किया गया। लिए गए नमूना जिले हैं; अर्द्ध पहाड़ी क्षेत्र (क्षेत्र-1) से जिला रूपनगर, मध्य क्षेत्र से जिला पटियाला (क्षेत्र-2) तथा दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र से जिला मानसा (क्षेत्र-3)। इसके अलावा, जिला पटियाला में आठ विकास खंड, जिला मानसा में पांच विकास खंड और जिला रूपनगर में पांच विकास खंड थे। स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के आधार पर संबंधित जिलों के प्रत्येक विकास खंड से एक-एक गांव का चयन किया गया था। इस प्रकार, अध्ययन के लिए तीन जिलों से कुल अठारह गाँवों का चयन किया गया। चयनित जिलों में कुल भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवारों में से 410 परिवारों का स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति का उपयोग करके चयन किया गया और कुल कृषि श्रमिक घरों की संख्या से 15 प्रतिशत परिवारों को लेकर जांच की गई, यानी 202 भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों का चयन किया गया। जिला पटियाला, जिला मनसा से 148 और जिला रूपनगर से क्रमशः 60। अधिकांश आवश्यक डेटा मुख्य रूप से प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से एकत्र किए गए हैं; जहाँ आवश्यक पाया गया वहाँ द्वितीयक समंकों का भी प्रयोग किया गया। अध्ययन के तहत जिलों, विकासखंडों और गांवों से संबंधित द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित और अप्रकाशित स्रोतों से एकत्र किए गए थे। आवश्यक प्राथमिक डेटा नमूना परिवारों से एक अच्छी तरह से तैयार प्रश्नावली और पूर्व-परीक्षण प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया गया था। व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से नमूना परिवारों से डेटा एकत्र किया गया था। अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों को निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है।

मजदूरों की आर्थिक और जनसांख्यिकीय

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं के विश्लेषण से पता चलता है कि जहां तक आयु कारक का संबंध है, कृषि श्रमिक परिवारों में 91 प्रतिशत मुखिया 21-40 और 41-60 वर्ष के आयु वर्ग में थे, अर्थात। उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में निर्णय लेने की सबसे प्रभावी अवधि जब उनके पास पहल करने की क्षमता, काम करने की इच्छा और बुद्धिमानी से निर्णय लेने की परिपक्वता होती है। शिक्षा समाज के किसी भी वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार, आय और कई अन्य पहलुओं से जुड़ा है, उदा। गैर-कृषि क्षेत्रों आदि में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के बारे में निर्णय लेना और जागरूकता। कुल 410 नमूना कृषि श्रमिक परिवारों में से 302 (73.66 प्रतिशत) कृषि श्रमिक परिवारों के मुखिया निरक्षर थे। केवल 108 मुखिया (26.34 प्रतिशत) साक्षर पाए गए थे। यह देखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार पिछड़े वर्गों को शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्रदान करती है। यह पाया गया है कि अधिकांश खेतिहर मजदूर अनुसूचित जाति के हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अधिक सुविधाओं और विधायी उपायों के बावजूद शिक्षा के स्तर पर खेतिहर मजदूरों की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है।

यह पाया गया कि चयनित कृषि श्रमिक जनसंख्या के कुल 2215 व्यक्तियों में से 1411 व्यक्ति (63.70 प्रतिशत) निरक्षर थे। 525 व्यक्तियों (23.70 प्रतिशत) की संख्या साक्षर पाई गई और 279 व्यक्ति (12.60 प्रतिशत) छह वर्ष से कम आयु वर्ग के थे जो पूर्व-प्राथमिक (आंगनवाड़ी) स्कूलों में गए थे। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के बीच कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 849 महिला पाया गया। कुल चयनित परिवारों में से 53 (12.93 प्रतिशत) परिवारों के पास कच्चे घर थे, 94 (22.92 प्रतिशत) परिवारों के पास पक्के मकान थे और 263 (64.15 प्रतिशत) घरों के आधे-पक्के घर थे। कुल चयनित परिवारों में से, 404 (98.54 प्रतिशत) परिवारों के पास अपने घर थे और छह (1.46 प्रतिशत) परिवार किराए पर रहते थे। पीने के पानी का मुख्य स्रोत जल-नल था। पीने के पानी के स्रोत के रूप में, 108 (26.34 प्रतिशत) प्रतिदर्शित कृषि श्रमिकों के पास केवल हैंडपंप था, 185 (45.12 प्रतिशत) के पास केवल नल का पानी था और 94 (22.93 प्रतिशत) के पास हैंडपंप और पानी दोनों की सुविधा थी। नल। 23 घर ऐसे थे जहां पीने के पानी का कोई स्रोत नहीं था और वे पड़ोसियों पर निर्भर थे। विद्युत सुविधा के मामले में, 394 (96.10 प्रतिशत) नमूना कृषि श्रमिक परिवारों में यह सुविधा थी जबकि केवल 16 (3.90 प्रतिशत) कृषि श्रमिक परिवारों में यह सुविधा नहीं थी। कुल चयनित श्रमिक परिवारों में से 177 परिवार (43.17 प्रतिशत) अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, 197 चयनित परिवार (48.05 प्रतिशत) पिछड़ा वर्ग श्रेणी के हैं और केवल 36 परिवार (8.78 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी के हैं।

रूपनगर

जिला रूपनगर में, कृषि श्रमिक परिवार ने अन्य चयनित जिलों की तुलना में डेयरी से अधिक आय अर्जित की, जो जिले में कृषि क्षेत्रों की संबद्ध गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूकता दर्शाता है। इसके अलावा, सभी चयनित जिलों में कृषि श्रमिक परिवारों की आय का शेष हिस्सा श्रम शक्ति को गैर-कृषि गतिविधियों (ईंट भट्ठा उद्योग, घरेलू नौकर आदि), सुअर पालन और मुर्गी पालन, वेतन, पेंशन, बिक्री से आता है। खाद और विविध गतिविधियाँ। तीनों चयनित जिलों में जहाँ तक उनके परिवार की आय में कृषि मजदूरों के योगदान का संबंध है, अधिकांश परिवारों की वार्षिक आय रुपये के बीच है। 25,000 से रु। 30,000 जिसमें उच्चतम प्रतिशत यानी 24.15 शामिल है। 20.00 प्रतिशत घरों में अगला निचला अनुपात रुपये की वार्षिक आय सीमा के भीतर था। 20,000 से रु। 25,000। 18.05 प्रतिशत परिवारों के अगले थोड़ा कम अनुपात में वार्षिक आय रुपये से थी। 30,000 से रु. 35,000। रुपये की सबसे कम वार्षिक आय। 15000 से रु। 20,000 की 14.88 प्रतिशत की रिपोर्ट की गई थी जबकि रुपये की उच्चतम राशि। 45,000 और उससे अधिक की रिपोर्ट पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सैंपल किए गए कृषि श्रमिकों के 4.14 प्रतिशत द्वारा दर्ज की गई थी। कुल मिलाकर अधिकांश परिवारों की वार्षिक आय (77.08 प्रतिशत) रुपये की सीमा में थी। 15,000 से 35,000। आय वितरण का यह पैटर्न निःसन्देह चयनित परिवारों के बीच आय की असमानता को इंगित करता है। ऐसे कई कारक थे जो औसत घरेलू आय में भिन्नता को प्रभावित करते हैं जैसे कि घरों का औसत आकार, कमाने वालों की संख्या और संपत्ति का मूल्य आदि। लेकिन प्रमुख अंतर घर में कमाने वाले सदस्यों की संख्या के कारण होता है। उपभोग व्यय के अध्ययन से पता चलता है कि एक औसत कृषि श्रमिक परिवार का वार्षिक

उपभोग व्यय रुपये था। 51,479.50। विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर कुल उपभोग व्यय में, खाद्यान्नों की गणना सबसे बड़े व्यय घटक के रूप में की जाती है, जिसका अनुपात 30.94 प्रतिशत है, इसके बाद दूध और दूध उत्पादों का 12.65 प्रतिशत है। यह इस तथ्य के कारण है कि अपनी दक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें इन मदों पर अधिक खर्च करना पड़ता है। यह भी देखा गया है कि इन घरों में एक या दो दुधारू पशु थे और दूध आमतौर पर घरेलू उत्पादन होता है लेकिन पूरक आय के लिए बड़ी मात्रा में दूध दूधवाले को बेचा जाता था। मादक द्रव्यों एवं नशीले पदार्थों पर उपभोग व्यय 6.30 प्रतिशत रहा जो व्यय की तीसरी सबसे बड़ी राशि थी। प्राथमिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि नमूने में एक भी महिला मजदूर नशे की आदी नहीं पाई गई है, जबकि अधिकांश पुरुष मजदूर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा नशे और नशीले पदार्थों पर खर्च करते थे। इसके बाद गैर-टिकाऊ वस्तुओं पर कुल उपभोग व्यय में गन्ना उत्पादों का योगदान 4.83 प्रतिशत है। उत्तरदाताओं ने कपड़ों पर औसतन 4.43 प्रतिशत खर्च किया, जो पांचवें स्थान पर आया। इससे पता चलता है कि ये परिवार कपड़ों पर बहुत कम खर्च करते हैं। चूँकि वे केवल अल्प मजदूरी अर्जित करते हैं इसलिए वे परिवार के सभी सदस्यों के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं खरीद सकते हैं। एक परेशान करने वाला तथ्य यह पाया गया कि उनके कपड़े गंदे और खराब गुणवत्ता के थे; और उनके परिवारों में अधिकांश बच्चे फटे कपड़ों में अधनंगे पाए गए। खाद्य तेल; लेख धोना; जूते; सब्ज़ियाँ; मसालों और मसालों; चाय की पत्तियां; साबुन और डिटर्जेंट; ईंधन और प्रकाश उनके महत्व के क्रम में आगे दिखाई देते हैं, 2.51 का योगदान; 2 .32; 1.68; 1.67; 1.50; क्रमशः 1.47 और 1.42 प्रतिशत व्यय। अधिकांश चयनित खेतिहर श्रमिक परिवारों ने अपनी ईंधन की आवश्यकता को पास की आम या कृषि भूमि से लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़ों को चुनकर पूरा किया। अन्य सामान जैसे फल; बिस्कुट, रोटी और मिठाई; अचार; नमूना घरों के इस कुल उपभोग व्यय में मांस, मछली और अंडे का हिस्सा बहुत कम है। इसके अलावा, शादी और अन्य सामाजिक-धार्मिक समारोहों पर खर्च एक कृषि श्रमिक परिवार के कुल उपभोग व्यय का 13.09 प्रतिशत था। दूसरी ओर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, वाहन, टेलीफोन और/या मोबाइल और मनोरंजन जैसी सेवाओं पर व्यय कुल उपभोग व्यय का 7.85 प्रतिशत है। स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय का हिस्सा अन्य सेवाओं की तुलना में बहुत अधिक है, क्योंकि यह एक औसत नमूने वाले कृषि श्रमिक परिवार के कुल उपभोग व्यय का 3.54 प्रतिशत है। यह आवास की अपर्याप्त स्थिति और संतुलित आहार की कमी के कारण है; इनमें से अधिकांश परिवार कई बीमारियों के शिकार थे। यह देखा गया कि नमूने के तौर पर लिए गए परिवारों ने आवागमन और संचार के सार्वजनिक साधनों का उपयोग किया।

टिकाऊ मदों पर उपभोग व्यय, गृह निर्माण पर व्यय, कमरों का निर्माण एवं प्रमुख मरम्मत में सभी चयनित जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेवाओं के मामले में खपत पैटर्न सभी चयनित जिलों में समान था। सभी चयनित जिलों में विभिन्न सेवाओं में स्वास्थ्य सेवा सबसे महत्वपूर्ण मद थी। इसके बाद सभी चयनित जिलों में आने-जाने, संचार, शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च होता है। विवाह और अन्य सामाजिक-धार्मिक समारोहों पर उपभोग व्यय के बीच, सभी चयनित जिलों में नमूना कृषि श्रमिक परिवारों ने धार्मिक समारोहों की तुलना में विवाहों और सामाजिक समारोहों पर अधिक खर्च किया। तीनों नमूना जिलों में उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति एकता से अधिक थी। खपत करने की उच्चतम औसत प्रवृत्ति, यानी 1.21 जिला रूपनगर के लिए और सबसे कम, यानी 1.14 जिला पटियाला के लिए देखी गई। मानसा

जिले में उपभोग की औसत प्रवृत्ति 1.17 रही। चूँकि नमूने में औसत परिवार की तुलना में उपभोग करने की औसत प्रवृत्ति एक से अधिक थी, इसका तात्पर्य वार्षिक घाटे का सहारा लेना है। जिला रूपनगर के लिए वार्षिक घाटा सबसे अधिक (रुपये -8727.93) था, इसके बाद जिला मनसा (रुपये -7283.19) और जिला पटियाला (रुपये -6480.74) का स्थान था। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि खपत के न्यूनतम स्तर को बनाए रखने के लिए चयनित कृषि श्रमिक परिवारों को सभी जिलों में विभिन्न स्रोतों से ऋण लेना पड़ता है।

कृषि श्रमिक परिवारों के आय स्तर से अधिक उपभोग व्यय के परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की घटना होती है। अध्ययन में पाया गया कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में 85.37 प्रतिशत भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। इसके अलावा, सैंपल किए गए कृषि श्रमिक परिवार औसतन कुल ऋण का 80.98 प्रतिशत गैर-संस्थागत स्रोतों से लेते हैं और शेष केवल 19.02 प्रतिशत संस्थागत स्रोतों से लेते हैं। गैर-संस्थागत स्रोतों के बीच, सैंपल किए गए श्रमिक परिवार औसतन बड़े किसानों और जमींदारों के प्रति अधिक ऋणी पाए गए, जो कुल ऋण का 35.44 प्रतिशत था, जबकि 22.07 प्रतिशत पेशेवर साहूकारों से लिया गया था। कपड़ा व्यापारियों और पंसारी, रिश्तेदारों और दोस्तों से अनुपात क्रमशः 18.53 और 4.94 प्रतिशत था। दूसरी ओर, संस्थागत स्रोतों के मामले में, वाणिज्यिक बैंकों ने ऋण की कुल राशि का 13.91 प्रतिशत और सहकारी समितियों / बैंकों ने 5.11 प्रतिशत के साथ एक औसत भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार का गठन किया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि आजादी के 67 वर्ष और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के 45 वर्ष से अधिक होने के बाद भी पंजाब के भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवार ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों के चंगुल में हैं। प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान यह देखा गया है कि चयनित परिवारों को गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करना आसान लगता है और वे संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा/जमानत नहीं दे सकते हैं। इस गंभीर समस्या का एक नकारात्मक पहलू यह है कि चयनित कृषि श्रमिक परिवारों ने ऋण का औसतन 23.22 प्रतिशत उत्पादक उद्देश्यों पर, 33.15 प्रतिशत अर्ध-उत्पादक उद्देश्यों पर और शेष 43.63 प्रतिशत सामाजिक रूप से आवश्यक उद्देश्यों पर खर्च किया। यह बताया गया कि दैनिक जीवन में बढ़ते खर्च के कारण अधिकांश ऋणग्रस्त परिवारों द्वारा कर्ज का बड़ा हिस्सा ले लिया गया था। अन्य महत्वपूर्ण सिर पारिवारिक बीमारी थी। चयनित परिवारों द्वारा लिए गए अधिकांश ऋण सामाजिक आवश्यकताओं के लिए थे। ऋणी परिवारों की सामाजिक आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव दिखाई देता है और सामाजिक आवश्यकताओं की बदलती प्रकृति से इसे उचित ठहराया जा सकता है।

नमूना परिवारों के बीच ऋणग्रस्तता के जिलेवार विश्लेषण से पता चलता है कि पंजाब के चयनित जिलों में अधिकांश कृषि श्रमिक परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। ऋणग्रस्त खेतिहर मजदूरों का उच्चतम अनुपात जिला पटियाला में 88.12 प्रतिशत था, इसके बाद मानसा और रूपनगर जिलों में क्रमश: 85.81 प्रतिशत और 75.00 प्रतिशत था। लेकिन प्रति नमूना परिवार ऋण की राशि (30215.70 रुपये) मानसा जिले में सबसे अधिक थी, उसके बाद जिला पटियाला (28768.03) और उसके बाद क्रमशः जिला रूपनगर (22657.45 रुपये) था। जनपद मनसा के उच्च ऋणग्रस्तता के पीछे ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह एवं सामाजिक-धार्मिक समारोहों, नशाखोरी और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी पर खर्च करना था। इसके अलावा, जिले में इस समस्या के लिए अपेक्षाकृत कम साक्षरता दर और

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निम्न स्तर के विविधीकरण जिम्मेदार थे। इस संबंध में जांच से पता चलता है कि चयनित परिवारों में भी ऋण अनुबंधित श्रमिकों के माध्यम से प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई क्योंकि वे किसानों से उधार ले सकते हैं। दूसरी ओर, जिला रूपनगर में कृषि श्रमिकों के बीच ऋणग्रस्तता की राशि सबसे कम है क्योंकि गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे पशुपालन, सुअर पालन और मुर्गी पालन आदि में कृषि श्रमिकों की अपेक्षाकृत उच्च कार्य भागीदारी थी। सभी चयनित जिलों में गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण। जिला पटियाला में एक औसत कृषि श्रमिक परिवार गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण का 78.30 प्रतिशत लेता है, जबकि मनसा और रूपनगर जिलों में क्रमशः 84.82 और 80.94 प्रतिशत के आंकड़े थे। कुल मिलाकर, विश्लेषण द्वारा उजागर किए गए बिंदु यह हैं कि लोग या तो संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं या वे संस्थागत ऋण स्रोतों के अधिकारियों के उदासीन नौकरशाही रवैये से चिढ़े हुए हैं।

मानसा

मानसा जिले में चयनित कृषि श्रमिक परिवारों ने औसतन 24 से 32 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम ऋण (32.14 प्रतिशत) लिया था। जबकि जिला पटियाला व जिला रूपनगर में सर्वाधिक ऋण क्रमश: 30.88 प्रतिशत व 29.39 प्रतिशत क्रमशः 24 से 32 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर लिए गए, यह नोट करना निंदनीय है

जिला मानसा में चयनित कृषि श्रमिक परिवारों द्वारा 78.64 प्रतिशत ऋण 16 प्रतिशत से अधिक वार्षिक ब्याज दर पर लिया गया। जिला पटियाला और जिला रूपनगर के लिए संबंधित अनुपात क्रमशः 72.10 प्रतिशत और 71.77 प्रतिशत थे। यह ऋण मुख्यतः गैर-संस्थागत स्रोतों से लिया गया था। समाज के गरीब तबके के लिए ऋण में अंतर करना बहुत मुश्किल काम है कि क्या यह उत्पादक, अर्ध-उत्पादक और सामाजिक रूप से आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था। यह ध्यान रखना उचित है कि नमूना किए गए कृषि श्रमिक परिवार, औसतन, सभी चयनित जिलों में सभी कृषि श्रमिक परिवारों के बीच सामाजिक रूप से आवश्यक उद्देश्यों जैसे विवाह और अन्य सामाजिक-धार्मिक समारोहों पर खर्च किए गए ऋण की उच्चतम राशि है।

कृषि मजदूरों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करते हुए, यह पाया गया है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिल पा रहा था। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में चयनित कृषि श्रमिक परिवारों में व्यक्तियों की कुल संख्या 2215 थी, इसमें से 484 (21.85 प्रतिशत) अर्जक थे, 661 व्यक्ति (29.85 प्रतिशत) आकस्मिक कमाने वाले आश्रित थे और 1070 व्यक्ति (48.31 प्रतिशत)) पूरी तरह से निर्भर हो गया। कुल (484 व्यक्ति) अर्जक में से, 173 (35.74 प्रतिशत) मजदूर ठेका मजदूरों के रूप में कृषि में लगे हुए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृषि में कोई भी महिला और एक बच्चा ठेका श्रमिक के रूप में नहीं पाया गया। एक कृषक के लिए एक संविदात्मक श्रम के रूप में लगाव के ये अनुबंध कमोबेश रोजगार के अनुबंध थे और दोनों पक्षों द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से दर्ज किए गए थे। अध्ययन से पता चलता है कि 52.02 प्रतिशत ठेका मजदूरों में से अधिकांश सिर्फ ऋणग्रस्तता के कारण ठेका मजदूर बन गए लेकिन श्रमिकों के लिए ऋणग्रस्त घरों में काम करना आवश्यक नहीं था, 22.55 प्रतिशत केवल सुरक्षा के कारण ठेका मजदूरों के लिए संपर्क पसंद करते हैं रोजगार, नियमित रोजगार की आवश्यकता के कारण 20.81 प्रतिशत और अन्य कारणों से 4.62 प्रतिशत कर्मचारी संविदा पर थे। एक महत्वपूर्ण परिघटना यह है कि पहले के समय में एक ऋणग्रस्त

श्रमिक को अन्य स्वतंत्र श्रमिकों की तुलना में भुगतान किया गया वेतन कम/कम नहीं पाया गया था। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि आजकल किसी प्रथा के तहत ऐसा कोई अनुबंध नहीं किया जा रहा था। हालांकि, ऋण के कारण एक संविदात्मक श्रम के रूप में संलग्नता कुछ हद तक बाध्यता के अधीन थी। हालाँकि, इसे अतीत की तरह ऋण बंधन नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, अनुबंध ज्यादातर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण किए गए थे और ऐसे अनुबंधों में विशिष्ट दायित्वों की भूमिका नगण्य है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एक वर्ष में कृषि में आकस्मिक श्रमिक के रूप में औसतन 126.33 दिन का रोजगार मिला। कैजुअल लेबर के रोजगार को आगे खरीफ और रबी सीजन में बांटा गया था। इन दो मौसमों में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या समान थी, यानी 311, जिनमें से 183 (58.84 प्रतिशत) पुरुष थे, 122 (39.22 प्रतिशत) महिलाएं थीं और छह (1.93 प्रतिशत) बच्चे थे। उन्हें क्रमशः रबी मौसम (61.99 दिन) की तुलना में खरीफ मौसम (64.34 दिन) में अधिक रोजगार मिला। अध्ययन क्षेत्र में, उत्तरदाता मुख्य रूप से फसल उत्पादन गतिविधियों में शामिल थे। किसी भी फसल उत्पादन गतिविधियों में उम्र, जाति या वैवाहिक स्थिति के लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। मजदूरों ने व्यस्त मौसम में प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक काम किया, जबकि सुस्त मौसम में, उन्होंने प्रतिदिन 7-8 घंटे काम किया। भूमिहीन खेतिहर मजदूर ज्यादातर रोपाई, कटाई, मड़ाई और सब्जियां उगाने की गतिविधियों में शामिल थे, जो कृषि क्षेत्र में कुल रोजगार के दिनों का 74.82 प्रतिशत था। कृषि के मशीनीकरण के कारण अध्ययन क्षेत्र के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एक वर्ष में कृषि क्षेत्र में बहुत कम रोजगार के अवसर मिले। इसके परिणामस्वरूप भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के वैकल्पिक स्रोत खोजने पड़ते हैं। यह देखा गया है कि महिला मजदूर ज्यादातर विभिन्न कृषि कार्यों को मैन्युअल रूप से करती हैं। गैर-कृषि क्षेत्रों में, महिला मजदूर घरेलू नौकर, ईंट-भट्ठा और निर्माण और अन्य गतिविधियों जैसे कि सब्जियां / फल बेचना, जूता बनाने में मदद करना आदि का काम करती हैं। उनमें से कुछ स्थानीय उद्योगों और मनरेगा में भी लगी हुई थीं।

चयनित कृषि मजदूरों के रोजगार की अंतर-जिला तुलना से पता चलता है कि अर्जक, आकस्मिक उपार्जन आश्रित और आश्रित के प्रतिशत के संदर्भ में, अर्जक की सबसे अधिक संख्या रूपनगर जिले में 25.53 प्रतिशत और पटियाला जिले में 22.63 प्रतिशत पाई गई। और जिला मानसा में क्रमशः 19.46 प्रतिशत। मानसा जिले में कमाने वालों का अनुपात कम था क्योंकि अन्य दो चयनित जिलों की तुलना में जिले में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम थे। इसलिए, पीक सीजन में उन्हें अधिक काम मिला, लेकिन कृषि क्षेत्र में ऑफ सीजन में वे बेरोजगार रहे। कृषि में पुरुष, महिला और बाल श्रम के संदर्भ में श्रम की संरचना से पता चलता है कि पटियाला जिले में कुल 410 नमूना परिवारों में से 82 (34.89 प्रतिशत) व्यक्ति संविदा कर्मचारी थे। इसके अतिरिक्त, जनपद मनसा में 74 (44.85 प्रतिशत) व्यक्ति संविदा श्रमिक के रूप में कृषि कार्य में लगे हुए थे। यह जिला रूपनगर था, जहां 17 (20.24 प्रतिशत) व्यक्ति वास्तविक श्रमिक थे। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि कृषि क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों की महत्वपूर्ण उपस्थिति के कारण ठेका श्रमिकों की तुलना में जिला रूपनगर में आकस्मिक श्रमिकों का प्रतिशत सबसे अधिक था।

अन्य चयनित जनपदों की तुलना में जनपद मानसा में ठेका श्रमिकों का अनुपात सर्वाधिक था। एक तरह से जिला मानसा में संविदात्मक श्रम की परंपरा को अपेक्षाकृत बड़ी जोतों

और/या सामाजिक-आर्थिक विकास के निम्न स्तर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। सभी चयनित जिलों में अधिकांश ठेका मजदूर कर्जदार होने के कारण ठेका मजदूर बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक जिसने अनुबंधित खेतिहर मजदूरों की सौदेबाजी की शक्ति को बाधित किया, वह ऋण के लिए नियोक्ता पर निर्भरता रही है। कुल संविदा कृषि श्रमिकों में से लगभग 85 प्रतिशत मजदूरों ने नियोजन के समय नियोक्ता से अग्रिम धन लिया। यह अग्रिम धन ज्यादातर बिना ब्याज के और बिना किसी शर्त के, जिसे कार्यकर्ता को एक प्रकार के बंधन में फंसाने के लिए कहा जा सकता है; जिन श्रमिकों ने अग्रिम लिया था, वे अग्रिम लिये गये धन को लौटाने (या आश्वासन) के बाद नियोक्ता की सेवा छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन कुछ मामलों में मजदूर अग्रिम राशि चुकाए बिना भी सेवा छोड़ देते हैं। नैमितिक श्रम के उपयोग को आगे रबी और खरीफ ऋतुओं में विभाजित किया गया। चयनित जिलों में इन दो मौसमों के लिए आकस्मिक कृषि श्रमिकों की संख्या लगभग समान थी। जनपद मनसा में एक वर्ष में कृषि में औसतन 136.23 दिनों के लिए कृषि श्रमिकों को नैमित्तिक श्रमिक के रूप में अधिकतम रोजगार प्राप्त हुआ। जिला रूपनगर और जिला पटियाला में संबंधित दिन क्रमशः 125.03 और 121.20 दिन थे। सभी चयनित जिलों में उत्तरदाताओं को रबी मौसम की तुलना में खरीफ मौसम के दौरान रोजगार के अधिकतम दिन मिले। सभी चयनित जिलों में, भूमिहीन खेतिहर मजदूर ज्यादातर फसल उत्पादन गतिविधियों में शामिल थे। उत्तरदाता ज्यादातर रोपाई, कटाई, थ्रेशिंग और सब्जी उगाने की गतिविधियों में शामिल थे, जो कि रूपनगर जिले में कृषि क्षेत्र में रोजगार के कुल दिनों की संख्या का 67.08 प्रतिशत था। यह अनुपात पाटी आला जिले में 64.85 प्रतिशत तथा मानसा जिले में 58.76 प्रतिशत रहा।

संपत्ति की संरचना के विश्लेषण से पता चलता है कि संपत्ति का स्वामित्व समाज में व्यक्तियों के जीवन स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी सैंपल किए गए खेतिहर मजदूर परिवारों के पास मवेशियों की कुल संख्या 386 निकली और भैंसें किसी भी अन्य प्रकार के मवेशियों की तुलना में सबसे पसंदीदा मवेशी साबित हुईं। संपत्ति के विभिन्न घटकों में संपत्ति के कुल मूल्य में काफी भिन्नताएं थीं। एक औसत नमूना घर के लिए आवासीय घर का मूल्य संपत्ति के कुल मूल्य का 68.98 प्रतिशत है। दूसरी महत्वपूर्ण संपत्ति पशुधन थी जो संपत्ति के कुल मूल्य का 9.30 प्रतिशत थी। गैर-कृषि भूमि और 'अन्य' संपत्ति को क्रमशः 5.92 और 4.78 प्रतिशत के औसत नमूने वाले परिवार के लिए तीसरा और चौथा स्थान मिला। उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि औसत नमूना घर के लिए संपत्ति के कुल मूल्य में आवासीय घर का मूल्य एक प्रमुख हिस्सा है। आवासीय घर का मूल्य संपत्ति के कुल मूल्य का लगभग तीन-चौथाई होता है और शेष संपत्ति का खाता केवल एक-चौथाई होता है जो संपत्ति रखने वाले नमूना कृषि श्रमिक परिवार की खराब स्थिति को इंगित करता है। उनकी संपत्ति के मूल्य के अनुसार घरों के वितरण से पता चलता है कि परिवारों की अधिकतम संख्या (अर्थात 111) की संपत्ति का मूल्य 100001 -120000 के बीच था, जो कुल घरों की संख्या का 27.07 प्रतिशत था, जिसके बाद 69 परिवार थे, जो 16 थे। 120001-140000 के बीच 83 प्रतिशत संपत्ति और उसके बाद 59 परिवारों का गठन (14.39 प्रतिशत) के पास 90001-100000 के बीच संपत्ति थी।

निष्कर्ष और सुझाव

पंजाब राज्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की आर्थिक स्थिति के अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि कृषि मजदूर सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं। वे अपनी आय से अपने उपभोग व्यय को भी पूरा करने में असमर्थ हैं। उनके द्वारा अर्जित

आय उनकी बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करने के लिए बहुत कम है। उन्हें कृषि क्षेत्र के बाहर सीमित दिनों का रोजगार मिलता है। अपनी आय-उपभोग की खाई के कारण उन्हें परिवार के भरण-पोषण के लिए उधार लेना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें वाणिज्यिक बैंकों और सरकारी संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और उसके संस्थानों द्वारा प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। सावधानीपूर्वक जाँच के बाद, यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मजबूत पहल करनी चाहिए और भूमिहीन खेतिहर श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए।

इसके अलावा, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के बीच उनके लिए विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता है।

इसके अलावा, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि उन्हें गैर-कृषि क्षेत्रों में भी नौकरी मिल सके जिससे अंततः उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

सरकार को श्रमिक वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आगे आना चाहिए जो स्कूल स्तर पर ड्रॉप-आउट की समस्या को रोकने में मदद कर सकता है और उनके माता-पिता को शिक्षा के महत्व को अधिक गंभीरता से समझने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

सरकार को खेतिहर मजदूरों को दुधारू पशु रियायती दरों पर उपलब्ध कराने चाहिए। यह कृषि मजदूरों की आय बढ़ाने में सहायक होगा।

खेतिहर मजदूरों को कम ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, सरकार को गैर-संस्थागत ऋण एजेंसियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और आसान चुकौती सुविधाओं के साथ कृषि श्रमिक परिवारों को कम ब्याज दरों पर संस्थागत ऋण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए।

खेतिहर मजदूरों को शिक्षित करने और उन्हें शादी और अन्य सामाजिक-धार्मिक समारोहों आदि पर अपने खर्च को कम करने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित घरेलू (एचएचआई) और लघु उद्योगों की स्थापना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों लिंकेज विकसित करेंगे। सरकार को उन्हें कम ब्याज दरों पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

इसके अलावा, उपभोग-आय के अंतर को पूरा करने के लिए, सरकार को दैनिक उपभोग की वस्तुओं को बहुत मामूली दरों पर उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू करनी चाहिए, ताकि खेतिहर मजदूर अपने मौजूदा आय स्तर पर अपनी उपभोग की जरूरतों को पूरा कर सकें। साथ ही सरकार को कमियों से बचने के लिए इन योजनाओं पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए।

निस्संदेह, पंजाब सरकार कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर तय करती है लेकिन अभी भी न्यूनतम मजदूरी दर के संशोधन और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कदम उठाने की आवश्यकता है।

आय और रोजगार स्तरों में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

जिला जनगणना पुस्तिका, जनगणना 2001, श्रृंखला 20, पंजाब।

घोष, डी. (1962), "द एग्रीकल्चरल लेबर (1950 -51 से 1956-57)," एग्रीकल्चर लेबर इन इंडिया। (संपा) वी.के.आर.वी. राव, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे, पृ.3।
भारत सरकार (1960), "एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया," द सेकेंड एग्रीकल्चरल लेबर इंक्वायरी कमेटी (1956 -57), लेबर ब्यूरो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री पर रिपोर्ट।
भारत सरकार (2001), भारत की जनगणना (2001), विभिन्न मुद्दे।
भारत सरकार, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, 2008-09, पीपी। 15,155। पंजाब सरकार बी (2008-09), पंजाब का सांख्यिकीय सार (2008-09)।
कुमार, वी. (2008), "भूमिहीन कृषि श्रम की आर्थिक स्थिति - जिला संगरूर का एक केस स्टडी," एम.फिल निबंध (अप्रकाशित), पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
सिंह, एच.के.एम. (1979), "जनसंख्या दबाव और कृषि और संबंधित गतिविधियों में श्रम अवशोषण: पंजाब में किए गए फील्ड अध्ययन के आधार पर विश्लेषण और सुझाव।" इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम। XIV, नंबर 11।
सिंह, पी. (2008), "कॉस्ट ऑफ एंड रिटर्न फ्रॉम क्रॉप कल्टिवेशन ऑन मार्जिनल एंड स्मॉल फार्म्स: ए केस स्टडी ऑफ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट।" एम.फिल शोध प्रबंध (अप्रकाशित), पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
सिंह, आर. (2004), "ऑक्यूपेशनल चेंज ऑफ़ एग्रीकल्चरल लेबर - ए केस स्टडी ऑफ़ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट," एम.फिल। निबंध (अप्रकाशित), पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
सिंह, एस. (1993), "पॉवर्टी एंड इंडेबटेडनेस अमंग वीकर सेक्शन इन रूरल पंजाब", पीएचडी थीसिस, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला।
भारती, वी। (2011), "ऋणग्रस्तता और आत्महत्या: पंजाब के कृषि मजदूरों पर प्राथमिक नोट्स", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। एक्सएलवीआई। नंबर 4, 02 अप्रैल, 2011।
दास, एच.के. (2008), "क्रॉस रोड्स कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ पर फार्म वीमेन", जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, वॉल्यूम। 27, नंबर 2
पाढ़ी, के. (2007), "एग्रीकल्चरल लेबर इन इंडिया-ए क्लोज लुक" उड़ीसा रिव्यू, फरवरी.मार्च। 2007, www.orissa.gov.in पर ऑनलाइन।
पुरी, एच.के. (2003), "सिख समुदाय में अनुसूचित जातियाँ: एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, जून 2003।
रेड्डी, डी.एन. (2006), "एग्रेरियन स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बदलाव: इंस्टीट्यूशन अल रिट्रोग्रेशन के तहत किसान खेती टिकाऊ है", आर। राधाकृष्ण एट अल, इंडिया इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड: सम आस्पेक्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड पॉवर्टी, निबंध सीएच के सम्मान में हनुमंत राव, अकादमिक प्रेस, नई दिल्ली, 2006।
अग्रवाल, ए.एन. (1971), इंडियन एग्रीकल्चर, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली। आहूजा, यू.आर.; त्यागी, डी.; चौहान, एस. और चौधरी, के.आर. (2011),
"ग्रामीण रोजगार और प्रवासन पर मनरेगा का प्रभाव - हरियाणा के कृषि-पिछड़े और कृषि-उन्नत जिलों का अध्ययन", कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान समीक्षा, वॉल्यूम। 24, पीपी. 495-502.
बाल, एच.एस.; और सिंह। (1979), "पंजाब के लुधियाना जिले में कृषि मजदूरों के बीच ऋणग्रस्तता", भारत में कृषि स्थिति, खंड 34, संख्या 7 से 12, 1979।
बालाकृष्णन, ए. (2005), "ग्रामीण भूमिहीन महिला मजदूर: समस्याएं और संभावनाएं", कलपाज प्रकाशन, नई दिल्ली।
बर्धन, के. (1973), "कृषि श्रम के लिए मजदूरी दरों को प्रभावित करने वाले कारक", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, वॉल्यूम। 8, संख्या 26, 30 जून, 1973।